महत्वपूर्ण

संख्या–1354 / 9–आ–5–99.156 डी ए / 86

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 1999

विषय :समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पार्श्वांकित पत्रों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में त्वरित गति से निर्णय लेने तथा ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उ0 प्र0 नगर विकास अधिनियम, 1973 की धारा–51 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली, 1985 के नियम–39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को प्राधिकरण में कार्यरत उन अधिकारियों, जिनका वेतनमान रु. 8000.13500 तक है, के सम्बन्ध में निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्यों को प्रतिनिधानित करते हैं :–

(1) छुट्टी की स्वीकृति तथा छुट्टी के नगदीकरण की स्वीकृति।
(2) अग्रिमों–भवन क्रय / निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम तथा भविष्य निधि से स्थाई / अस्थायी अग्रिम, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण भत्ता, मकान किराया भत्ता।
(3) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने, जिसमें विलम्बन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।
(4) दक्षता रोक पार कराया जाना।
(5) प्रतिकूल प्रविष्टि का संसूचित किया जाना तथा उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन पर निर्णय।
(6) चरित्र–पंजियों, सेवा अभिलेख तथा ज्येष्ठता सूची का रखा जाना तथा अन्य आवश्यक अभिलेख एवं सूचना रखना।
(7) मानदेय की स्वीकृति।
(8) चिकित्सा सुविधा।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्यपाल महोदय विकास प्राधिकरणों में कार्यरत उन अधिकारियों, जिनका वेतनमान रु. 8000.13500 तथा उससे अधिक है, के सम्बन्ध में भी निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग उपाध्यक्ष को प्रतिनिधायित करने का आदेश देते हैं :–

(1) चार मास तक की अवधि का अवकाश।
(2) यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण भत्ता, मकान किराया भत्ता।
(3) अग्रिम भवन निर्माण / क्रय अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम, भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम।
(4) चिकित्सा सुविधा।

3. उपाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली, 1985 के सम्बन्धित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे, किन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के जारी होने तक निर्णय न लिया गया हो, अथवा कार्यवाही प्रारम्भ न की गई हो, उनमें इस आदेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के ऐसे प्रकरण, जिनमें इस आदेश द्वारा शक्तियों एवं कृत्यों का प्रतिनिधायन उपाध्यक्षों को किया जा रहा है और पूर्व में शासन को संदर्भित किये गये हैं, उन्हें सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु वापस किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि कृपया भविष्य में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–1354(1)/9–आ–5–99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त मण्डलायुक्त।

(2) आवास एवं नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,
वीरेश कुमार
विशेष सचिव।